

प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट

Online Mode 3 days “Investigation of Cases under POCSO Act 2012”

(For Sub-Inspector to Dy. S.P.)

दिनांक 25-08-2020 से 27-08-2020

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 25-08-2020 से 27-08-2020 “Investigation of Cases under POCSO Act 2012” विषय पर ऑनलाइन वेबिनार तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्चुअल कक्ष में आयोजित किया गया। राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव कुमार शर्मा, आईपीएस, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस के निर्देशन में प्रबुद्ध वक्ताओं को व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से 28 प्रतिभागियों जिसमें 02 उप पुलिस अधीक्षक, 09 पुलिस निरीक्षक, 17 उप निरीक्षक ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिन 10:10-10:30 AM तक पंजीकरण, 10:10-10:30 AM तक सहायक कोर्स निदेशक एवं कोर्स निदेशक द्वारा कोर्स का परिचय। प्रथम सत्र में श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक, आरपीए ने पोक्सो अधिनियम 2012 के उद्देश्य और कानूनी प्रावधान पर विस्तार से चर्चा की। द्वितीय सत्र में डॉ. राजेश सिंह, जैव डिविजन, एफएसएल, जयपुर ने पोक्सो अधिनियम और इससे संबंधित मामलों में फोरेंसिक साक्ष्य का महत्व SAECK किट का भौतिक साक्ष्य और उपयोग का संग्रह पर अपना व्याख्यान दिया। प्रथम दिन के तृतीय सत्र में श्री चतुर्भुज शर्मा, एडीपी, आरपीए ने किशोर (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और पोक्सो मामलों से संबंधित विषय पर अपना व्याख्यान दिया।

द्वितीय दिन के प्रथम सत्र एवं द्वितीय सत्र में श्री महावीर प्रसाद जांगीड, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, (सेवानिवृत्त) ने पोक्सो अधिनियम के तहत जांच का व्यावहारिक पहलू, पोक्सो अधिनियम के तहत अन्वेषण के व्यावहारिक पहलू पर चर्चा करते हुये क्या करे और क्या नहीं करे पर अपना व्याख्यान दिया। तृतीय सत्र में श्री रमेश कुमार, पीओ, आरपीए ने एफआईआर, बयानों की रिकॉर्डिंग और पीडित की मेडिकल जांच के विशेष प्रावधानों के बारे में चर्चा की।

अन्तिम दिन के प्रथम सत्र एवं द्वितीय सत्र में डॉ. दीपाली पाठक, एसोसिएट प्रोफेसर, फॉरेंसिक मेडिसिन एसएमएस अस्पताल, जयपुर ने मेडिको पोक्सो एक्ट, यौन हिंसा की कानूनी परिभाषा, चोट के बाद का समय, उम्र का अनुमान, मेडिको कानूनी जांच, रिपोर्टिंग आदि पर अपना व्याख्यान दिया। MoHFW दिशानिर्देश और प्राटोकॉल बचे हुए लोगों के लिए मेडिको-लीगल केयर, यौन हिंसा के शिकार बच्चों और प्रतिक्रियाशील मुद्दों पर प्रतिक्रिया देना, पीडितों के लिए मेडिको-लीगल केयर के बारे में पुलिस - न्यायपालिका इंटरफेस और बच्चे/पीडितों के लिए साइको सोशल केयर के दिशानिर्देश, स्वास्थ्य पेशेवरों की भूमिका, यौन हिंसा की मेडिको-लीगल एग्जामिनेशन रिपोर्ट पर विस्तृत रूप से चर्चा की।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तिम सत्र में 03:00 पीएम पर प्रतिभागियों से पोक्सो विषय पर पेपर लिया गया। अन्त में वेबिनार के माध्यम से श्री सौरभ कोठारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सीओई) ने प्रत्येक प्रतिभागी से कोर्स के विषय में चर्चा कर कोर्स समाप्ति की घोषणा की गई।